बहुविवाह और हरियाणा परिवार पहचान-पत्र

चर्चा में क्यों?

हरियाणा परिवार पहचान-पत्र (PPP) के नवीनतम आँकड़ों से पता चला है कि राज्य में अनेक व्यक्तियों की **दो या दो से अधिक पत्नियाँ** हैं।

- यह **डाटा** इन व्यक्तियों द्वारा **स्वेच्छा से साझा** किया गया है, जिसमें उनकी **पत्नियों और बच्चों की संख्या** जैसे **व्यक्तिगत विवरण** शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

- **PPP डाटा विवरण:**
  - हरियाणा में **2779 व्यक्ति** ऐसे हैं, जिनकी **दो या दो से अधिक पत्नियाँ** हैं।
  - इनमें से **2761 व्यक्तियों** की **दो पत्नियाँ** हैं, जबकि **15 व्यक्तियों** की **तीन पत्नियाँ** हैं तथा **3 व्यक्तियों** ने बताया कि उनकी **तीन से अधिक पत्नियाँ** हैं।
- **क्षेत्रीय आँकड़े:**
  - **दो पत्नियों** वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या **नूह ज़िले** में पाई गई है, जहाँ **353 व्यक्तियों** की दो पत्नियाँ हैं।
  - अन्य ज़िलों में **अंबाला (87), भिवानी (69)** और **फरीदाबाद (267)** शामिल हैं।

परिवार पहचान-पत्र (PPP) योजना

- **पृष्ठभूमि:**
  - PPP योजना को औपचारिक रूप से **जुलाई 2019** में हरियाणा सरकार की **'पेपरलेस' एवं 'फेसलेस'** सेवा वितरण व्यवस्था की दृष्टि से प्रारंभ किया गया था।
  - इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को **एक इकाई** माना गया है तथा उसे **8 अंकों की** विशिष्ट पहचान संख्या (Family ID) दी जाती है।
  - यह **फैमिली ID** विभिन्न योजनाओं जैसे **छात्रवृत्तियाँ, सब्सिडी और पेंशन** आदि से भी जुड़ी होती है ताकि **संगतता व विश्वसनीयता** सुनिश्चित की जा सके।
  - इससे राज्य की विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी एवं पेंशन के **स्वचालित लाभार्थी चयन** में भी सहायता मिलती है।
- **उद्देश्य:**
  - परिवार पहचान-पत्र (PPP) का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा के सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटा तैयार करना है।
- **लाभ:**
  - **परिवार एक इकाई के रूप में:**
  - केंद्र सरकार के **आधार कार्ड में एक व्यक्ति का विवरण होता है** और यह पूरे परिवार को एक इकाई के रूप में नहीं दर्शाता है।
  - यद्यपि राशन कार्ड प्रणाली मौजूद है, लेकिन यह अद्यतन नहीं है और इसमें पर्याप्त पारिवारिक रिकॉर्ड नहीं हैं।
- **सुचारू सेवा वितरण:**
  - हरियाणा सरकार की विभिन्न सेवाएँ एवं योजनाएँ जैसे **सामाजिक सुरक्षा पेंशन**, **राशन कार्ड**, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, जाति व आय प्रमाण-पत्र आदि PPP के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
- **प्रवासी श्रमिकों के लिये लाभकारी:**
  - **पंजीकरण ID** उन लोगों को प्रदान की जाती है, जो हरियाणा में रहते हैं, लेकिन **निवास संबंधी आवश्यकताएँ** पूरी नहीं कर पाए हैं।
  - इससे राज्य सरकार को **उचित मूल्य की दुकानों से राशन**, **श्रम योजनाओं का लाभ**, **स्ट्रीट वेंडर्स सहायता योजनाएँ** आदि जैसे **लाभ प्रदान करने** में सहायता मिलती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/polygamy-and-haryana-family-identity-card